

NEXT IAS

दैनिक संपादकीय विश्लेषण

विषय

भारत में परमाणु दायित्व और ऊर्जा
नीति पर परिचर्चा

www.nextias.com

भारत में परमाणु दायित्व और ऊर्जा नीति पर परिचर्चा

सन्दर्भ

- प्रमुख परमाणु कानूनों में प्रस्तावित संशोधनों, जिनका उद्देश्य आपूर्तिकर्ता दायित्व और परमाणु ऊर्जा में निजी क्षेत्र की भागीदारी से संबंधित दीर्घकालिक मुद्दों का समाधान करना है, ने संसद में परिचर्चा शुरू कर दी है।

भारत का परमाणु ऊर्जा परिदृश्य

- भारत वर्तमान में अपनी विद्युत का केवल लगभग 3% परमाणु स्रोतों (24 संयंत्रों में 8.8 गीगावाट) से उत्पन्न करता है, और 2031-32 तक 22,480 मेगावाट और 2047 तक 100 गीगावाट (विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन) तक बढ़ने का अनुमान है।
- केंद्रीय बजट 2025-26 में परमाणु ऊर्जा मिशन के लिए ₹20,000 करोड़ आवंटित किए गए, जिसमें लघु मॉड्यूलर रिएक्टर (एसएमआर) और भारत लघु रिएक्टर (बीएसआर) का विकास शामिल है।

भारत में परमाणु दायित्व और ऊर्जा नीति: प्रमुख कानून

- **परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम (सीएलएनडीए), 2010:** इसे भोपाल गैस त्रासदी (1984), 2011 में फुकुशिमा परमाणु आपदा और मेक्सिको की खाड़ी में तेल रिसाव जैसी वैश्विक घटनाओं के बाद परमाणु दुर्घटना पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए लागू किया गया था।
 - यह प्राथमिक दायित्व संचालक (सामान्यतः एनपीसीआईएल) पर डालता है और इसकी सीमा ₹1,500 करोड़ है।
 - इसमें 'आश्रय का अधिकार' खंड शामिल है, जो संचालक को दोषपूर्ण उपकरण या सेवाओं के मामले में आपूर्तिकर्ताओं से मुआवजा मांगने की अनुमति देता है।
- **परमाणु ऊर्जा अधिनियम (एईए), 1962:** यह परमाणु ऊर्जा के नियंत्रण को सरकार के अधीन केंद्रीकृत करता है, निजी कंपनियों को परमाणु संयंत्रों के संचालन से रोकता है।
 - यह परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (ईआरबी) को सुरक्षा मानकों को लागू करने और विकिरण सुरक्षा की निगरानी करने का अधिकार देता है।

परिचर्चा का सार

- **सुरक्षा बनाम निवेश समझौता:** यह तर्क दिया जाता है कि आपूर्तिकर्ता दायित्व को कम करने से सुरक्षा और जवाबदेही से समझौता हो सकता है, विशेषकर भोपाल जैसी पिछली औद्योगिक आपदाओं के मद्देनजर।
- **प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और रणनीतिक जोखिम:** विदेशी आपूर्तिकर्ताओं से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को लेकर चिंताएँ बनी हुई हैं, विशेषकर एसएमआर जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में।
 - निजी कंपनियाँ स्वामित्व वाले डिजाइन साझा करने में अनिच्छुक हो सकती हैं, और राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी निहितार्थ एक संवेदनशील मुद्दा बना हुआ है।
- **आपूर्तिकर्ता दायित्व:** भारत के सीएलएनडीए में विशिष्ट रूप से आपूर्तिकर्ता दायित्व शामिल है, जो ऑपरेटरों को दुर्घटनाओं की स्थिति में उपकरण आपूर्तिकर्ताओं से मुआवजा मांगने की अनुमति देता है।
 - हालाँकि, पूरक मुआवजा सम्मेलन (सीएससी) दायित्व को पूरी तरह से ऑपरेटर पर डालता है।

- **विधायी अस्पष्टता और विलंब:** जैतापुर परमाणु ऊर्जा परियोजना, जिसे विश्व की सबसे बड़ी परियोजना माना जाता है, अनसुलझे दायित्व मुद्दों के कारण एक दशक से अधिक समय से रुकी हुई है।
- **बंद परमाणु मॉडल और निजी क्षेत्र का बहिष्कार:** 2015 में परमाणु ऊर्जा एजेंसी (AEA) 1962 में किए गए संशोधनों ने सार्वजनिक उपक्रमों के साथ संयुक्त उद्यमों की अनुमति दी, हालाँकि, निजी क्षेत्र की प्रत्यक्ष भागीदारी अभी भी प्रतिबंधित है, जिससे क्षमता विस्तार और तकनीकी अपनाने की गति धीमी हो रही है।

प्रस्तावित संशोधन

- सरकार ने परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम (CLNDA), 2010 और परमाणु ऊर्जा अधिनियम (AEA), 1962, दोनों में संशोधनों की संभावना खोजने के लिए समितियों का गठन किया है, जिसका उद्देश्य रिएक्टर निर्माण और संचालन में निजी क्षेत्र की भागीदारी को अनुमति देना है।
- इन परिवर्तनों से भारत के कानूनों को अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों, विशेष रूप से पूरक क्षतिपूर्ति अभिसमय (CSC) के अनुरूप बनाने की संभावना है, जिसका भारत ने 2016 में अनुसमर्थन किया था।

निष्कर्ष

- भारत में परमाणु दायित्व और ऊर्जा नीति पर परिचर्चा सार्वजनिक सुरक्षा, रणनीतिक स्वायत्तता और पर्यावरणीय उत्तरदायित्व के प्रश्नों को छूती है।
- जैसे-जैसे संसद इन संशोधनों पर विचार-विमर्श करने की तैयारी कर रही है, परिणाम का उद्देश्य भारत के ऊर्जा भविष्य और वैश्विक परमाणु व्यवस्था में उसके स्थान को आकार देना है।

Source: TH

दैनिक मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न: भारत के परमाणु दायित्व कानून के उसकी ऊर्जा नीति पर पड़ने वाले प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। यह भारत की निवेश आकर्षित करने, सुरक्षा सुनिश्चित करने और अपने दीर्घकालिक ऊर्जा लक्ष्यों को पूरा करने की क्षमता को कैसे प्रभावित करता है?